राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 178 मई 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

27 मई की रात को उत्तर प्रदेश में बदायूं के उसेत क्षेत्र के एक गांव में दो अल्पवयस्क दलित लड़कियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार किया, मार दिया गया और फिर एक पेड़ पर लटका दिया गया। इस नृशंस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से - यथा बरेली, फिरोजाबाद, मथुरा, फतेहपुर, आजमगढ़, इटावा, गोरखपुर, बागपत, आदि से यौनाचार के नौ और मामले हुए। यह बात कि पुलिस ने बदायूं मामले में पीड़ितों की जाति पूछी थी, यह बताती है कि जाति और लिंग आधारित भेदभाव कानून लागू करने वालों पर हावी है। इससे यह भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश हर दिन जाति और महिला हिंसा और सामान्य अराजकता के गर्त में धंसता जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोर संवेदनहीनता एक महिला पत्रकार को, जिसने उनसे इस बलात्कार और हत्या के बारे में पूछा था, उनके द्वारा दिए गए इस दो टूक उत्तर से दिखाई देती है कि "आप तो सुरक्षित हैं क्या नहीं हैं?" उनके पिता ने पहले एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि बलात्कार एक छोटा अपराध है और "आखिर लड़के लड़के ही होते हैं" और वे गलतियां करते हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि उनको फांसी दे दी जाए। प्राधिकारियों की ओर से बलात्कर के बारे में अनुमति देने वाला ऐसा दृष्टिकोण बताता है कि बलात्कार के विरुद्ध कोई प्रभावी कठोर कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को केवल खानापूर्ति ही नहीं करनी चाहिए। इसकी शुरूआत बदायूं के वास्तविक हत्यारों को गिरफ्तार करके की जा सकती है चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों, उन पर द्रुत न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए और उन्हें अनुकरणीय सजा दी जाए।

चर्चा में — उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना को स्वतः संज्ञान में लिया है और जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच समिति के सदस्यों ने रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश प्रशासन को और राज्य सरकार के जातीय पक्षपातपूर्ण रवैये, निम्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध प्रतिकूल रवैया रखने और पुलिस की उदासीनता को दो लड़कियों के साथ दिल दहलाने वाले सामूहिक बलात्कार और उनको जान से मार देने के लिए एकमात्र जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को जांच रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष भी बुलाया है। इस बीच, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को यह स्पष्टीकरण देने के लिए लिखा है कि अ. जा./अ.ज.जाति अधिनियम के अंतर्गत मामले में एक एफ.आई.आर. क्यों नहीं दर्ज की गई।

तथापि, जाति पहलू, पक्षपातपूर्ण प्रशासन, संवेदनहीन पुलिस और सर्वव्यापी राजनीतिज्ञ-अपराधी संबंध के अतिरिक्त एक और समस्या है - शौचालयों की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। महिलाओं को मजबूर होकर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है जिससे उन पर यौनाचार का खतरा बना रहता है। इसलिए बेहतर पुलिस निगरानी और कानून लागू करने की आवश्यकता के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को जिसने शौचालयों को बनाने के लिए केन्द्र द्वारा दिए गए 293 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया हैं, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सफाई सुविधाएं दी जाएं।

अब समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कुछ दृढ़ कदम उठाए, अन्यथा सत्तारूढ़ पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों में उसी तरह चुनावी हार का सामना करना पड़ेगा जैसा उसे हाल में हुए संसदीय चुनाव में करना पड़ा।

अप्रैल 2014 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति

लिखित में प्राप्त शिकायतें

महीना	अथ शेष (पिछले महीने के लंबित)	प्राप्त शिकायतें	शिकायतों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई		कार्रवाई के लिए लंबित शिकायतें
			पिछला	वर्तमान	
अप्रैल 2014	1,130	1,823	शून्य	1,130	1,823

ऑनलाइन मामले

अप्रैल 2014	90	421	शून्य	90	421

बन्द मामले

महीना	लिखित में	ऑनलाइन
अप्रैल 2014	496	79

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अप्रैल, 2014 में 19 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

आयोग का अरुणाचल प्रदेश का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरुणाचल राज्य महिला आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ सहयोग से "विवाह, तलाक, उत्तराधिकार पर प्रथागत कानून और महिलाओं की स्थिति पर इसका प्रभाव" पर एक सेमिनार आयोजित किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजातियां और अनेक अन्य छोटी जनजातियां हैं और प्रत्येक जनजाति के अपने प्रथागत कानून और पारंपरिक रिवाज हैं, जिनमें से कुछ अच्छे हैं जबकि कुछ असंगत हैं और महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण हैं। उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रथागत कानूनों को संशोधित करने हेतु व्यापक परामर्श और चर्चा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अध्यक्षा ने आगे कहा कि संपत्ति को उत्तराधिकार में लेने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और विवाह-विच्छेद होने पर पति/पत्नी की संपत्ति,

प्रतिभागियों के साथ अध्यक्षा और सदस्याएं

है और यदि उन्हें बिना किसी पक्षपात के बराबरी के अवसर मिलते हैं तो वे पुरुषों से अधिक हासिल कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तथापि प्रथागत रिवाजों को, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में रुकावट हैं, समाप्त कर दिया जाना चाहिए।"

कार्यक्रम के उपरांत एक अंतःक्रिया सत्र हुआ जिसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा गुमरी रिंगु ने प्रश्नों के उत्तर दिए और रचनात्मक जानकारी दी।

★ ज़ीरो में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

अरुणाचल प्रदेश के लोअर शुबनसिरी जिले के ज़ीरो में एक एक-दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम हुआ। एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाने को कहा और इस बात पर बल दिया कि एक सशक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने के अतिरिक्त कानूनों का उचित रूप से क्रियान्वयन हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाएं उनके विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध अथवा हिंसा की रिपोर्ट करें और कहा कि दोषियों के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक मामलों की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को भी उन मामलों में संवेदनशील होने की आवश्यकता है जहां महिलाओं से पीड़िता के तौर पर पूछताछ करनी होती है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दहेज, बाल शिशु हत्या जैसी बुराइयां अरुणाचल प्रदेश में कम हैं परन्तु राज्य के कुछ भागों में बाल विवाह, घरेलू हिंसा के व्याप्त होने पर चिंता जताई और उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को इन मामलों का समाधान करने के लिए कहा।

अध्यक्षा 'दमिनदा' एक स्वागत गीत के साथ अपथिनी नृत्य में भाग लेती हुई

अध्यक्षा ममता शर्मा सेमिनार में भाषण करती हुई

परिसंपत्तियों के वितरण में महिलाओं के लिए सांविधिक संरक्षण देने के लिए कहा। उन्होंने एकत्रित समूह को यह भी सूचित किया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल में आयोग में एक पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ स्थापित किया है।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ललडिंगलियानी साइलो ने इस बात संतोष व्यक्त किया कि राज्य विधानसभा और नगरपालिका परिषद जैसे निर्णय करने वाले मंचों सहित सभी क्षेत्रों में अनेक महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं का भाग लेना यह तथ्य बताता है कि अंततः ग्रामीण और दूरस्थ गांवों की महिलाओं में भी एक चेतना जागृत हो रही है कि "महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और उनकी गरिमा आवश्यक

सदस्या साइलो, अध्यक्षा (बीच में) और गांव बुरूस (पंचायत प्रमुख) के साथ सुश्री लीलाबती

★ ईटानगर में जूली जेल का दौरा

अध्यक्षा ने ईटानगर में जूली जेल के महिला वार्ड का दौरा किया। वह यह जानकर प्रसन्न हुई कि ईटानगर में एक महिला पुलिस स्टेशन कार्यरत है और स्वतंत्र रूप से महिला संबंधित समस्याओं को देख रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने, मेडिकल टेस्टिंग उपकरण खरीदने और जेल स्टॉफ के लिए मकानों का निर्माण करने की अति आवश्यकता है।.

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना इंदौर में "घरेलू हिंसा के संदर्भ में आर्थिक सशक्तिकरण" पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। उद्घाटन भाषण देते हुए डॉ. चारू वलीखन्ना ने कहा कि घरेलू हिंसा को सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है। पुरुष किसी महिला के विरुद्ध हिंसा के कार्य को अपराध नहीं समझता है। दूसरी ओर वह अपने साथी के हिंसामुक्त व्यवहार के लिए अपने पर दोषारोपण करती है और खुद से कहती है कि वह इसके लिए जिम्मेदार है। सदस्या ने महिलाओं को जोर देकर कहा कि वे घरेलू हिंसा अधिनियम का लाभ उठाएं और कहा कि एक टेलीफोन कॉल से ही शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ● सदस्या ने इंदौर में महिला थाने का निरीक्षण किया और महिला हेल्पलाइन के कार्य का मूल्यांकन किया। ● सदस्या न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्चतम न्यायालय के विदाई समारोह में उपस्थित हुई। ● डॉ. वलीखन्ना नई दिल्ली में औद्योगिक प्रबंधन अकादमी द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न - एक नया कानून जिसे नियोक्ता को जानना चाहिए" पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी।

डॉ. चारू वलीखन्ना नई दिल्ली में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" कार्यशाला को संबोधित करती हुई

❖ सदस्या हेमलता खेरिया सामाजिक कार्यकत्री सुश्री मानसी प्रधान के साथ ओड़िशा युवा सांस्कृतिक संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से ओड़िशा में चंदेश्वर में "अवैध शराब व्यापार और महिला हिंसा" पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित हुई। ● वह पुरी स्थित एक अनाथालय गई और 58 लड़कियों और 48 लड़कों से उनके हाउस मदर्स के साथ बातचीत की और उनकी शिकायतों को सुना। ● बाद में, वह अनाथालय के अधिकारियों से मिली और अनाथालय के प्रबंध और इसकी समस्याओं के बारे में उनसे चर्चा की।

सदस्या खेरिया (बाएं से तीसरे) और मानसी प्रधान मंच पर बैठी हुई

❖ सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर उत्तर प्रदेश में अमेठी जेल (महिला प्रकोष्ठ) गई। उन्होंने जेल की स्थिति को संतोषजनक पाया। ● सदस्या सरोगेट मदर्स को मुआवजा देने के बारे में मुम्बई स्थित एफ.ओ.जी.एस.आई. मुख्यालय में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगूलर) बिल, 2013 पर विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित हुई। ● सदस्या ने प्रत्येक सोमवार को "सखी सहयात्री" शीर्षक से लाइव प्रोग्राम के प्रसारण पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई के साथ बैठक की।

❖ सदस्या शमीना शफीक एमिटी कैम्पस में एक सामाजिक नेतृत्व कार्यक्रम में उपस्थित हुई जिसका उद्देश्य एमिटी विद्यार्थियों को नेता बनने और नेतृत्व को बदलने के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम के भाग के रूप में विद्यार्थियों ने टीम बनाई, उन विषयों पर निर्णय किया जिन पर वे कार्य करना चाहते थे, फील्ड अध्ययन, सर्वेक्षण, केस अध्ययन के द्वारा गहन अनुसंधान किया, कार्यवाही की योजना बनाई, फंड को इकट्ठा किया और निचले स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्य किया। ● सदस्या "भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" पर विशेषज्ञ समिति की दूसरी बैठक में उपस्थित हुई। ● श्रीमती शफीक अभिरक्षा में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश में सीतापुर के जिला जेल और हरदोई जिला जेल में गई। उन्होंने सुझाव दिया कि गैर-सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श, कानूनी सहायता और स्वास्थ्य देखरेख देने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं।

सदस्या शमीना शफीक एकत्रित समूह को संबोधित करती हुई

महत्वपूर्ण निर्णय

❖ दिल्ली परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए बसों में यात्रा सुरक्षित बनाने हेतु बसों में क्लोज डोर सर्किट टी.वी. कैमरा लगाने का निर्णय किया है। पहले चरण में 200 ए.सी. और नॉन ए.सी. लो फ्लोर बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएंगे। यदि यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य करती है तो निगम बेड़े की शेष बसों में कैमरे लगाएगा। सरकारी परिवहन की बसों में महिलाओं की सुरक्षा तब से एक मुख्य मुद्दा बन गया है जब एक 23 वर्षीय पैरा मेडिकल विद्यार्थी के साथ बस में सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसे चलती चार्टर्ड बस से बाहर फेंक दिया गया।

❖ एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि डॉक्टरी परीक्षण यौनाचार होना बताता है तो यह आवश्यक नहीं होगा कि पीड़िता को शारीरिक चोटें आई हों। यह निर्णय विशेषकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीड़िता के शरीर में चोटें न लगी होने अथवा संघर्ष के निशान न होने से बलात्कार के अनेक आरोपी छूट जाते हैं।

❖ हरियाणा सरकार ने एसिड हमले के महिला पीड़ितों को तदर्थ राहत अथवा मुआवजा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पुनर्वास सुविधाएं देने के लिए एक संशोधित स्कीम अधिसूचित की है। एसिड हमले के पीड़ितों को, जिनका चेहरा विकृत हो जाता है, शरीर का कोई अंग नहीं रहता और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी होती है, को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कुल राशि में से 1 लाख रुपए पीड़िता को दुर्घटना के 15 दिनों के अंदर तदर्थ राहत के रूप में दिए जाएंगे। शेष 2 लाख रुपए दो महीने के अंदर दिए जाएंगे।

❖ उच्चतम न्यायालय ने हाल में एक आदेश दिया है कि बलात्कार की पीड़िता को अपहरण होने के 24 घंटे के अंदर उसका बयान रिकॉर्ड करने हेतु सीधे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए ताकि बलात्कार का द्रुत मुकदमा चलाया जा सके। न्यायालय ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि उसका बयान पहले पुलिस के समक्ष रिकॉर्ड किया जाए और फिर बाद में मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाए। इस नई प्रक्रिया से बयान की दोबारा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी जिससे मुकदमा चलाने में विलंब होता था।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

❖ सदस्या हेमलता खेरिया ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में "पंचायत में महिला को निर्वस्त्र किया" शीर्षक से मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक जांच समिति की अध्यक्षता की। एक विस्तृत रिपोर्ट 20.5.2014 को प्रस्तुत की गई।

❖ सदस्या ने मध्य प्रदेश के डबरा जिले में किटोरा गांव में "अंधविश्वास के कारण महिलाओं को सीढ़िया चढ़कर ऊपर जाने की अनुमति नहीं है" शीर्षक से मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए जांच समिति की भी अध्यक्षता की। एक विस्तृत रिपोर्ट 20.5.2014 को प्रस्तुत की गई।

❖ बदायूं में दो चचेरी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उनकी हत्या करने को स्वतः संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने शमीना शफीक की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की जिसके सदस्य हेमलता खेरिया और सुश्री सुधा चौधरी हैं, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

शिकायत प्रकोष्ठ से

❖ श्रीमती अमृता (नाम बदला गया है) का विवाह 30.4.2012 को बूंदी जिले के आदित्य राज के साथ हुआ था। विवाह के शीघ्र बाद उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे यातना देनी शुरू की और जब उसने 5 लाख रुपए की मांग को मानने से इंकार कर दिया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया। परिवार के सदस्यों ने उसका स्त्रीधन और महत्वपूर्ण दस्तावेज ले लिए। उसकी शिकायत मिलने पर हिंडोली के पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच आरम्भ की। मामला आयोग के सामने लाया गया और आयोग की पहल पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने ससुराल वालों और उसके पति को शिकायतकर्ता को 25,00,000 रुपए देने का आदेश दिया। इसमें से आधी राशि न्यायालय में जमा की गई।

❖ धौला कुआं में 5 व्यक्तियों द्वारा एक चलते टैम्पो में एक मणिपुरी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने के चार वर्ष बाद पीड़िता द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखे जाने के बाद उसे 1.5 लाख रुपए दिए गए। अपने पत्र में उसने लिखा था कि इस घटना ने उस पर एक अमिट दाग लगा दिया है और उसने अपने को समाज से अलग कर दिया है। इस पत्र के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ममता शर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अपना व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा और कहा कि उसे अनुग्रह राशि दी जए जिससे वह अपनी देखभाल कर सके। यह मामला राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ललडिंगलियानी साइलो द्वारा लिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को इस अनुरोध के साथ पत्र लिखा कि पीड़िता को अपने पुनर्वास में सहायता देने के लिए अनुग्रह राशि दी जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल पर दिल्ली दक्षिण-पश्चिम जिला विधिक प्रकोष्ठ सेवा प्राधिकार ने उसे उसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा पत्र प्राधिकार को भेजे जाने पर 1.5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।